

फर्द अहकाम

बनाम **ऋषिराज**

शुभकारण

यालय

या

144/2021

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

24/3/21

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपायित/ प्राधी/वादी की ओर से प्रां पत्र बाबत वाद विद्वा किये जाने पेश हुआ शक्ति हो। प्रांपत्र पत्र वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अणगर कराया वादी एवं प्रतिवादी के मध्य फेद प्रकार का विवाद नहीं रहा है इसलिए वाद को अंगे-पलाना नहीं चाहते हैं। बाद में फिली प्रकार की कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वाद को विद्वा किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी के प्राधिना पत्र का बाबत विद्वा किये जाने वाद का अवलोकन किया व वकील प्राधी की कसतका मनन करने पर वादी अपने वाद को विद्वा करना चाहते हैं। अतः वादी के प्रांधन के आग्रह पर वादी के वाद को विद्वा किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर के कम होकर वाद नकलीस दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दि. 24/3/21



24/3/21